कौशल विकास भत्ता योजना व कौशल विकास भत्ता के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नः

प्रश्न संख्या 1: कौशल विकास प्रशिक्षण क्या है ?

कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान अथवा संगठन द्वारा दिया जाने वाला ऐसा प्रशिक्षण है जिससे निपुणता अर्जित होती है, और फलस्वरूप रोज़गार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। कौशल प्रशिक्षण साधारणतया ***(क) व्यवसायी शिक्षा (ख) तकनीकी प्रशिक्षण तथा (ग) संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला अन्य कौशल प्रशिक्षण, जिसके एवज में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।***

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के प्रयोजन हेतु पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाले डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रशिक्षण तथा ***विश्वविद्यालयों द्वारा मात्र सूचना प्रौद्योगिकी में प्रदान किया जाने वाले डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रशिक्षण ही वैध हैं*** *(विश्वविद्यालयों के अन्य सभी प्रशिक्षण वर्जनीय होंगे)। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान/संगठन किसी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त होने चाहिए या इस प्रयोजन से अधिसूचना संख्याः श्रम (एफ) 1-2/2013 दिनांक 13-12-2013 द्वारा गठित जिला समितियों द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित किए गए हों। राज्य/केन्द्र सरकार मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा दिये गये सभी प्रशिक्षण वैध हैं।*

केवल वही लाभार्थी कौशल विकास भत्ते हेतु पात्र होंगे जो केवल कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो। वे विद्यार्थी जो डिग्री/ अध्यापन/अन्य उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण में भी दाखिला लिए हुए हों, पात्र नहीं हैं।

Wondershare™
PDF Editor

कौशल विकास प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल हैः

1 ***सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त क्षेत्र में प्रशिक्षणः***

(क) *सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना के ढांचे* (Government recognized Craftsmen Training Scheme frameworks) *के अर्न्तगत संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण, जैसे राज्य व्यवसायी प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0वी0टी0/SCVT) तथा राट्रीय व्यवसायी प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0/NCVT)।* ***सरकारी एंव निजी क्षेत्र के सभी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0/ITI)*** *एस0सी0वी0टी0/एन0सी0वी0टी0 के अधीन आते है तथा उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण इस योजना के अर्न्तगत मान्य है।*

(ख) *सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा ढांचे के अर्न्तगत, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0/AICTE), संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।* ***सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी पॉलिटैकनीक संस्थान*** *जो सम्बन्धित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बंद्ध है, उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण इस योजना के अर्न्तगत मान्य है।*

(ग) ***राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता ढांचे (NVEQF) के अर्न्तगत (विश्वविघालयों को छोड़ कर) संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमाणपत्र/डिप्लोमा प्रशिक्षण।***

(घ) ***व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी0टी0पी0/VTP) के रूप में पंजीकृत ऐसे संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण,*** *जो महानिदेशक, रोजगार एंव प्रशिक्षण (डी0जी0ई0एण्ड0टी0/DG&ET) भारत सरकार (जी0ओ0आई0) द्वारा कौशल विकास अभिक्रम योजना (एस0डी0आई0एस0/SDIS) के अधीन तैयार किए गए माडयूलर नियोजनीय कौशल (एम0ई0एस0/MES) के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते*

Wondershare TM
PDF Editor

हो। डीजीईटी द्वारा 23-10-2013 तक प्रशिक्षण के लिए 633 मॉडयूल्ज (Modules) तैयार किए गए है जिनका वी0टी0पी0 द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अतः ऐसे सभी प्रशिक्षण इस योजना के तहत मान्य हैं। माडयूलर नियोजनीय कौशल (एम0ई0एस0 /Moduler Employable Skill) का ब्यौरा dget.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

(ड.) राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन एंव खान-पान प्रौघोगिकी परिषद द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण (जैसे-आवास संचालन एंव प्रबन्धन में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा, आहार विज्ञान एंव अस्पताल भोजन सेवा मे स्नात्कोत्तर डिप्लोमा, भोजन उत्पादन में काफ्टमैनशीप कोर्स, भोजन एंव पेय सेवाओं में काफ्टमैनशीप कोर्स, होटल एंव भोजन प्रबन्धन में प्रमाणपत्र कोर्स इत्यादि।

(च) सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण इस योजना के अधीन मान्य है, उदाहरणार्थ

- **उघोग विभाग आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण** (जैसे कि लम्बी अवधि उत्पाद आधारित उद्यम विकास कार्यकम (ई0डी0पी0/EDP), पर्यटन विभाग/ मंत्रालय, भारत सरकार (जैसे त्रैमासिक व्यक्तित्व विकास एंव अंग्रेजी व जर्मन भाषा कोर्स, भोजन उत्पादन कोर्स, प्रारंभिक भोजन एंव पेय सेवाएं (कारिन्दा/स्टीवर्ड), गृह-व्यवस्था, स्वागत/अग्र कार्यालय सहायक, बेकरी एंव मिष्ठान्न इत्यादि)।

- **स्वास्थ्य एंव चिकित्सीय शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण** (दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, दंत यान्त्रिक/मैकेनिक, प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन, दृष्टि मापक-विद, शल्य-कक्ष तकनीशियन, भेषजविज्ञ/फार्मासिस्ट, उपचर्या-धात्रीविधा, प्रसूति सम्बन्धी उपचर्या (ए0एन0एम0/ANM) इत्यादि में डिप्लोमा कोर्स, चिकित्सीय शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग हि0 प्र0/अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्द्ध/मान्यता प्राप्त।

Wondershare
PDF Editor

- ***निगमों, जैसे हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण*** *(जैसे कि ड्राईविंग प्रशिक्षण)।*

- ***हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एंव हथकर्घा निगम समिति*** *(जैसे बुनाई (खड्डी आदि पर), बुनाई, (सलाईयों आदि से), थांका चित्रकला, काष्ट उत्केदन, चम्बा रुमाल कढ़ाई तथा चम्बा व कॉगड़ा चित्रकला इत्यादि में प्रशिक्षण कोर्स)* ***हि0 प्र0 अनुसूचित जाति एंव जनजाति विकास निगम*** *(जैसे हथकर्घा खादी, वाहन चालक,मोटर मिस्त्री/ऑटो स्कूटर मुरम्मत, जूते बनाने, इलैक्ट्रोनिक्स, पलम्बिग, बिजली मिस्त्री/मोटर बांधने,वैल्डिग/स्टील फैब्रीकेशन/लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, फोम् बनाना, श्रृंगार-व्यवसायी, बांस का कार्य, नाईगिरी, कटाई-सिलाई, कंम्पयूटर प्रशिक्षण इत्यादि में प्रशिक्षण कोर्स) इन परिस्थितियों में प्रशिक्षु द्वारा यदि इन संगठनों से वज़ीफा* (honorarium) *लिया जा रहा हो तो उसे कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाला भत्ता या वज़ीफे में से किसी एक का चयन करने का विकल्प देना होगा।*

- ***जिला ग्रामीण विकास उपकमों (डी0आर0डी0ए0/DRDA) द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण*** *(जैसे कि कटाई एंव सिलाई) तथा* ***ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर0एस0ई0टी0आई0/RSETI), द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण*** *(जैसे-डेयरी उघोग, श्रृंगार प्रसाधन व्यवस्था, टी0वी0/डी0वी0डी0 तथा अन्य डिजिटल इलैक्ट्रोनिक जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं की मुरम्मत एंव उनसे संबंधी सेवाएं)।*

- ***केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम0ओ0आर0डी0/MoRD) द्वारा मान्यता प्राप्त आजीविका योजना के अर्न्तगत परियोजना कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण। इसकी*** *वैबसाईट* aajeevika.gov.in *पर देखी जा सकती है!*

Wondershare™
PDF Editor

2. कौशल विकास हेतु निम्नलिखित निजी संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण भी मान्य है।

(क) हिमाचल प्रदेश में आई0टी0/कम्पयूटर प्रशिक्षण हेतुः

(i) निजी क्षेत्र के विख्यात संस्थान जैसे कि (क) राष्ट्रीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0आई0टी0/NIIT) (ख) एप्टैक (Aptech) (ग) जैटकिंग(Jetking) (घ) ए0आई0एस0ई0सी0टी0 (AISECT) (ड.) हिन्दुस्तान कम्पयूटर्ज सीमित (एच0सी0एल0/HCL) (च) कम्पयूटर अनुरक्षण निगम सीमित (सी0एम0सी0एल0/CMCL) जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इनके द्वारा प्रदान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र निजी क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त है।

उपरोक्त निजी संस्थानों के फ्रेंचाईजी (Franchisees) भी प्रशिक्षण देने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उसका मूल्यांकन एंव प्रमाणन उपरोक्त संस्थानों (मूल संगठन) द्वारा किया जाए।

(ii) कुच्छेक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संस्थान मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ सम्बंद्ध हैं और इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे कम्पयूटर प्रशिक्षण के डिप्लोमा/प्रमाणपत्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा मान्य है। सरकारी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की बैबसाईट (www.ugc.ac.in) पर तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची http://himachal.nic.in/perc पर देखी जा सकती है।

(iii) सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकस एंव सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0ई0एल0आई0टी0/NIELIT) तथा उन्नत संगणना विकास केन्द्र (सी0-डी0ए0सी0/C-DAC)द्वारा कम्पयूटर प्रशिक्षण में प्रदान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन संचालित संगठन है।

wondershare™
PDF Editor

(ख) हिमाचल प्रदेश से बाहर आई0टी0/कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिएः

(i) जैसा कि उपरोक्त मद संख्याः (क) (1)में उल्लेख किया गया है । लेकिन ***उनकी फ्रेंचाईजी (Franchisee) कौशल विकास योजना, 2013 के प्रयोजन से पात्र नहीं होगी।***

(ii) कुच्छेक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संस्थान मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ सम्बंद्ध हैं और इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे कम्पयूटर प्रशिक्षण के डिप्लोमा/प्रमाणपत्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा मान्य है। सरकारी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की बैबसाईट (www.ugc.ac.in) *पर तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची* http://himachal.nic.in/perc *पर देखी जा सकती है।*

(iii) सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकस एंव सूचना प्रौघोगिकी संस्थान (एन0आई0ई0एल0आई0टी0 NIELIT*) तथा उन्नत संगणना विकास केन्द्र (सी0-डी0ए0सी0/*C-DAC*) द्वारा कम्पयूटर प्रशिक्षण में प्रदान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये सूचना एंव प्रौघोगिकी विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन संचालित संगठन है।*

(3) सूचना एंव प्रौघोगिकी के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रशिक्षणः *सूचना एंव प्रौघोगिकी के अलावा प्रशिक्षण के प्रयोजन से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या श्रम (एफ) 1-2/2013 दिनांक 13.12.2013 के माध्यम से उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया हैः -*

(i) उपायुक्त — अध्यक्ष

(ii) अतिरिक्त उपायुक्त/

wondershare™
PDF Editor

	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	उपाध्यक्ष
(iii)	जिला रोज़गार अधिकारी	सदस्य सचिव
(iv)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
(v)	प्ररियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
(vi)	प्रधानाचार्य,पॉलीटैकनीक/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य

कौशल विकास भत्ता योजना के प्रयोजन से समिति को निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों/गैर-सरकारी संस्थाओं को सूची में सम्मिलित करने/अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

समिति ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों/गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रत्यय दस्तावेजों का परीक्षण करेगी जिनके प्रशिक्षुओं को कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अधीन पात्र माना जाना हो।

जिला समिति द्वारा संस्थानों/ संगठनों के चयन सूची मे शामिल करने हेतु निम्नलिखित मानक अपनाएं जायेंगेः

(i) आधारभूत संरचना क्षमता-जैसे भवन/कमरों की संख्या/प्रयोगशालाएं/मशीनरी/प्रशिक्षण के लिए उपकरण इत्यादि की उपलब्धता।

(ii)अध्यापन निपुणता-जैसे शिक्षक वर्ग की योग्यता एंव अनुभव,शिक्षक वर्ग की संख्या इत्यादि।

wondershare™
PDF Editor

(iii)दिए गए प्रशिक्षण की गुणवता जैसे विषय सूची, प्रशिक्षण की अवधि, क्या प्रमाणपत्र प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रदान किया गया है, इत्यादि।

(iv)क्या प्रशिक्षण राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0वी0टी0), राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद(ए0आई0सी0टी0ई0), राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता ढांचे (एन0वी0ई0क्यू0एफ0), तथा माडयूलर नियोजनीय कौशल (एम0ई0एस0), इत्यादि की रूपरेखा पर आधारित है।

(v)क्या संस्थान/संगठन को प्रशिक्षण कोर्स चलाने हेतु राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अधिस्वीकृत किया गया है।

(vi)संगठन का सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने सम्बन्धी अनुभव।

(vii)क्या सिखाया जा रहा कौशल किसी ख्याति प्राप्त/राष्ट्र स्तरीय संगठन द्वारा अनुप्रमाणित है, इत्यादि!

उपरोक्त मापदण्ड संकेत मात्र है, सम्पूर्ण नहीं। समिति द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य मापदण्डों के आधार पर भी निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों के प्रत्यय-दस्तावेजों बारे जिला स्तरीय समिति स्वयं को संतुष्ट कर सकती है।

निम्नलिखित द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण की दशा में उपरोक्त प्रकिया अपनानी आवश्यक नहीं होंगी। संस्थान/संगठन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ढांचे जैसे एस0सी0वी0टी0, एन0सी0वी0टी0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0वी0ई0क्यु0एफ0 के अर्न्तगत प्राधिकृत हों, महा निदेशक, रोजगार एंव प्रशिक्षण (डी0जी0ई0एण्ड0टी0), भारत सरकार द्वारा

wondershare™
PDF Editor

प्रारम्भिक कौशल विकास योजना(एस0डी0आई0एस0),के तहत तैयार किए गए एम0ई0एस0 के अधीन व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम0ओ0आर0डी0) द्वारा मान्यता प्राप्त आजीविका योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।

4. सूचना प्रौघोगिकी के अलावा हिमाचल प्रदेश से बाहर प्रशिक्षणः

(i)सरकारी संस्थानों/ सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।

(ii)एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0/ए0आई0सी0टी0ई0 मापदण्डों के अनुसार या सम्बन्धित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों के साथ सम्बन्ध निजी संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।

5. कौशल विकास भत्ता योजना के प्रयोजन से अस्वीकार्य प्रशिक्षण कोर्सः विश्वविघालयों में डिग्री कोर्स जैसी शिक्षा (चाहे पूर्णकालिक, अंशकालिक या पत्राचार पाठयक्रम के माध्यम से हो) जैसे बी0 ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0टैक, बी0ई0, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, एम0टी0ए0, सी0ए0, कंपनी सचिव, आई0सी0डब्ल्यू0ए0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एम0फिल, पी0एच0डी0 इत्यादि तथा अध्यापन कोर्स (जैसे-जे0बी0टी0,कला अध्यापक, बी0एड0 आदि)तथा व्यक्तियों/संगठनों के साथ अनौपचारिक प्रशिक्षुता, जैसे वकीलों/बार संस्थाओं के साथ सम्बंद्ध होने पर प्रशिक्षण मान्य नहीं है, और अपंजीकृत व्यक्तियों/संगठनों, जिन्हें प्रशिक्षण कोर्स चलाने हेतु मान्यता प्राप्त नही है, के साथ किसी भी प्रकार की अनौपचारिक व्यवस्था योजना के अर्न्तगत मान्य नहीं है।

wondershare™
PDF Editor

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 हेतु वैध संस्थानों के उदाहरण अनुबन्ध-क पर है।

अनुबन्ध-'क'

<u>कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 हेतु मान्य संस्थानों के उदाहरण</u>

(1) सरकारी एवं निजि क्षेत्र के समस्त औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई)

(2) सरकारी एवं निजी क्षेत्र के समस्त पॉलीटैक्निक

(3) सभी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी टी पी) जो तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ पंजीकृत हैं, तथा माडयूलर नियोजनीय कौशल (एम0ई0एस0) आधारित कौशल विकास प्रारम्भिक योजना के अन्तर्गत आते हैं (राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार तथा पलम्बिगं आदि में प्रशिक्षण सहित) निम्नलिखित सूचिबद्ध किए गए हैः

क्रमांक	वी टी पी का नाम व पता	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	ईमेल
1.	बट्ट आई टी सी, गांव व डाकघर खुशनगरी तहसील चुराह, जिला चम्बा हि0 प्र0।	चम्बा	01896-209477	Pravegali2003@gmail.com
2.	मॉ ज्वाला शिक्षा सोसायटी बघोल डाकघर बेरी जसवां, जिला कांगड़ा वीटी पी चम्बा हि0 प्र0।	चम्बा	0899-223747 094181 08108, 086792	maajawalaitcparelchamba@gmail.com
3.	कृष्णा फूडकाफटस औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, वार्ड नं. 3 प्रतापनगर हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	9418000339	krishnafcc@yahoo.co.in
4.	किरण शिक्षा सोसायटी, बिहरू तहसील बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	94181-79299	

Wondershare™ PDF Editor

5.	जागृति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र गांव व डाकघर ऊहल हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	01792-277444 94184-06073	principaljagritiitc@rediffmail.com
6.	कैरियर पॉइंट व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, समीप एस डी एम कार्यालय भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	01972-265966 98167-05858	mdixit@careerpointgroup.com
7.	(एन एफ सी आई) राष्ट्रीय मच्छुवाही एवं पाक-शास्त्र संस्थान बड़सर, हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर (पंजीकरण संख्या 10206000)	01972-281281	nfci1instiute@gmail.com
8.	मां ज्वाला आई टी सी मजीण चौक, मड़ोली ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा	कांगड़ा	094188-78659	maajawalaitc@rocketmail
9.	एम आई टी सी ठाकुरद्वारा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मारण्डा, पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	कांगड़ा	094180-41622 01970-256490	Sd.himachalpradesh@dget.gov.in
10.	पी सी एस मैमोरियल आई टी सी संसारपंर टैरेस, कांगड़ा एच.पी.6, मॉर्डन आई टी सी, गांव व डाकघर परागपुर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।	कांगड़ा	094180-41622 01970-256490	sd. himachalpradesh@dget.gov.in
11.	रेंसिस आई टी सी फलोर, समीप स्टेट बैंक पाटियाला, नगरोटा बगंवा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	कांगड़ा	94184-52429 01892-249276	Renssis.iti@gmail.com
12.	शहिद दीवान चन्द कटोच आई टी सी बैजनाथ, कांगड़ा	कांगड़ा	01894-262647	Naveen_katoch74@yahoo.co.in
13.	मॉर्डन आई टी सी गांव व डाकघर परागपुर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	कांगड़ा	98163-77216	mitcpragpur@rediffmail.com
14.	श्री कृष्णा बहुप्रयोजनीय सहकारी औद्योगिक सोसायटी सीमित, गांव	कांगड़ा	98163-72356	bsranadehra@gm

Wondershare™ PDF Editor

	मूहिन, डाकघर गारली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।			ail.com
15.	क्रिश्चियन टेक्नों मैडिकल आई टी सी, समीप मुख्यडाकघर, ढालपुर,जिला कुल्लू, हि0प्र0।	कुल्लू	94185-01889 01902-224639	chsdmasih@yahoo.com
16.	एवरैस्ट आई टी सी, गांव सरकोटी, निरमंड, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	कुल्लू	98178-12302 01904-255215	Kumarvidesh27@yahoo.com
17.	नैश्नल एसोसिएशन फॉर द ब्लाईंड एच पी, आभा मेमोरियल भवन, सरवरी कुल्लू, हि0 प्र0।	कुल्लू	01902-2255778 01902-224859	nabkullu@gmail.com
18.	हैप्पी यंग आई टी सी नया बाजार बी बी एम बी कलौनी सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	94184-82045	ravimoudgil@gmail.com
19.	श्री रोशन लाल सेठी, चैरीटेबल एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट, एच. एन. 106/1 जवाहर नगर मण्डी पिन-175001	मण्डी	01905-222651	Ashokscthc2006@gmail.com
20.	विश्वजीत आई टी सी सैन्टर धनोटू सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	94183-87578 01907-207357	bishwajeetitc@gmail.com
21.	कंपोजिट रिजनल सैंटर फॉर परसनस विद डिसएबिलिटीज, वी टी पी नियर महामाया टैंपल सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	01907-266638 267338	crcsnr@gmail.com crcsnr@yahoomail.com
22.	आदर्श पर्यावरणा संस्था कल्याण समिति चैलचौक, तै0 गोहर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	-	Km.sehanwal@gmail.com
23.	एम डी आई टी सी नौहरा धार, वाया राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0	सिरमौर	94181-47147	mdvtest@rediffmail.com
24.	ज्ञानशक्ति विद्या पीठ, पी वी टी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट	सिरमौर	98160-14725	gsvitc@gmail.com, gsvpiti@gmail.com

wondershare™
PDF Editor

	शमशेरपुर, नीयर एस वी ओ पी पांवटा साहब, जिला सिरमौर, हि0प्र0			
25.	रौट्री परवाणु वोकेशनल एण्ड एण्ड कम्यूनिटी सैंटर, सोसायटी प्लॉट नं. -17, सैक्टर-5, परवाणु, जिला सोलन हि0प्र0।	सोलन	01792-235076	Himalyan-yogi@sify.com
26.	एस डी एस जे आई टी सी, गांव नागली बड़ोग हिल्ज जिला सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	88949-81587 01792-227632	Sdsj_society@yahoo.com
27.	वरटैक्स एजुकेशन सोसायटी कोटलानाला राजगढ़ रोड़ सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	01792-226005, 226505, 094180- 20505	vitcsolan@gmail.com, gmail.com.way2attri@gmail.com
28.	इंडियन इनस्टीटयूट ऑफ स्किल डवैल्पमेंट, प्रोपर्टी नं. 3 सैक्टर -1, अपोजिट ई एस आई हॉसपीटल रोड़ परवाणु जिला सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	01792-232684 98184-62401	Rakesh.yadav@iisd.co.in
29.	रविन्द्र नाथ, टैगोर मेमारियल आई टी सी हिम ऑटो बिल्डिंग, कामली रोड़ सैक्टर-1 परवाणु, जिला सोलन, हि0 प्र0।	सेलन	94184-21100	principalitc@gmail.com
30.	नोर्थ स्टार फास्टनर, प्लॉट नं. 9, ईपीआईपी-1 जारमाजरी, बद्दी, जिला सोलन	सोलन	01795-271368	Kanhaar@gmail.com
31.	एन एफ सी आई नैशनल फिनिशिंग एण्ड कुकरी, इन्स्टीच्यूट सोलन जिला सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	01795-271368	info@nfcihospitality.com
32.	इन्स्टीच्यूट फॉर सकिल एण्ड एन्टरप्रेनियोरशिप डवैलपमेंट, दाड़लाघाट, तै0 अर्की जिला सोलन हि0 प्र0	सोलन	01796-248366	ised_darlaghat@rediffmail.com

Wondershare™
PDF Editor

33.	हरिओम प्राईवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, बी पी ओ दिग्गल, तै0 नालागढ़, जिला सोलन, हि0प्र0।	सोलन	01795-278505	Hariom_itc@yahoo.in
34.	हिमालयन एजुकेशनल सोसायटी (पंजी0)रोहडू जिला शिमला हि0प्र0।	शिमला	94180-42941	Sharmadinesh396@gmail.com
35.	ऑप्टेक विद्या आई टी सी, सिटी हार्ट होटल ऊना रोड़ अंब जिला ऊना, हि0प्र0।	ऊना	94187-75290 01976-261989	Optech_vcc2007@rediffmail.com
36.	वेकेशनल रिहैबिलिएशन सैंटर फार फोर हैंडीकैप्ड, जिला ऊना, हि0प्र0।	ऊना	01975-2022222	Sd.himachalpradesh@dget.gov.in
37.	संतोषी आई टी सी घुमारवीं, बिलासपुर, हि0प्र0।	बिलासपुर	98167-44340 01978-254425	santoshiITI@yahoo.in
38.	साफत (पीवीटी) इंडस्ट्रीयल इंस्टीटयूट गांव अवाहर बंगाणा, जिला ऊना, हि0प्र0।	ऊना	01975-206028	saafatiti@yahoo.com
39.	हिमाचल प्रदेश इनफोरमेशन एण्ड टैक्नोलॉजी एजुकेशन सोसायटी वीपीओ अंब, नियर हिम लैब, ऊना, हि0प्र0।	ऊना	1976-243431	bhardwajedu-amb@gmail.com
40.	सिमोना प्राईवेट इन्डस्ट्रीयल ट्रैनिंग इनस्टीटयूट अंब, तै0 दौलतपुर चौक, ऊना, पिन- 177204	ऊना	01976-265010	Simonaiti@yahoo.com
41.	रूटस(प्राईवेट) आई टी आई कदाना-देहत्री, तै0 नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	कांगड़ा	94180-75246	rootsitikadana@gmail.com
42.	डोगरा (पीवीटी) आई टी आई प्लाट नं. 58, दूसरा फलौर इंडस्ट्रीयल एरिया बिलासपुर, हि0 प्र0।	बिलासपुर	98160-24540	itidogra@gmail.com

Wondershare™
PDF Editor

4. सरकारी क्षेत्र में अन्य प्रशिक्षण, जैसेः

(i) होटल प्रबन्धन संस्थान (आई. एच. एम. एस.)कुफरी/हमीरपुर

(ii) प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर0एस0ई0टी0आई0)।

(iii) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित कटाई एवं सिलाई कोर्स ।

(iv) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (डिप्लोमा प्रशिक्षण-दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, दृष्टि मापक -विद, शल्य कक्ष तकनीशियन, भेषजविज्ञ/फार्मासिस्ट, उपचर्या धात्री विधा, प्रसूति कक्षीय उपचर्या (ए.एन.एम.) इत्यादि और ये प्रशिक्षण चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हिमाचल प्रदेश/अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध हो)।

(v) हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक प्रशिक्षण स्कूल ।

(vi) हिमाचल प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित (बुनाई खडडी पर, सिलाईयों/मशीन से बुनाई, थंका चित्रकला तथा काष्ठ पर उत्केरन, चम्बा रूमाल, कढ़ाई तथा चम्बा एवं कांगड़ा चित्रकला इत्यादि में प्रशिक्षण ।

(vii) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम (हथकरघा खादी, वाहन चालन, वाहन मिस्त्री/ऑटो स्कूटर मुरम्मत, जूते बनाना इलैक्ट्रॉनिक्स, नलसाज, बिजली मिस्त्री/मोटर बांधना, वैल्डिग/स्टील/फैबरीकेशन/लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, फोम बनाना, श्रंगार व्यवसायी, बांस का कार्य, नाई, कट़ाई-सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि)।

Wondershare™

(viii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0ई0एल0आई0टी0) तथा उन्नत संगणना विकास केन्द्र (सी-डी ए सी)।

PDF Editor

5. निजी सूचना प्रौधोगिकी संस्थान (केवल हिमाचल में ही मान्य)

- (i) राष्ट्रीय सूचना प्रौधोगिकी संस्थान (एन आई आई टी/NIIT)
- (ii) एप्टैक (Aptech)
- (iii) जैटकिंग (Jetking)
- (iv) ए आई एस ई सी टी (AISECT)
- (v) हिन्दूस्तान कंप्यूटरज सीमित (एच सी एल/HCL)
- (vi) कंप्यूटर अनुरक्षण निगम सीमित (सी एम सी एल/CMCL)

6. बद्दी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बी0बी0एन0आई0ए0 द्वारा संचालित)

7. हि0 प्र0 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग अथवा अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सम्बंद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा संचालित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (जैसे- शिवालिक नर्सिंग संस्थान शिमला, हि0 प्र0, माता पदमांवती शिक्षा सोसायटी नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, लॉर्ड महावीर जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी संस्थान, नालागढ़, सोलन, हि0प्र0 इत्यादि।

8. अधिसूचना संख्याः श्रम (एफ)1-2/2013 दिनांक 13.12.2013 उपायुक्तो की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा सम्मिलित अथवा अनुमोदित अन्य संस्थान/संगठन । इन समितियों को कौशल विकास भत्ता योजना हेतू निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को सूची में सम्मिलित/अनुमोदित करने हेतू प्राधिकृत किया गया है।

उपरोक्त सूची, कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के अधीन किस किस प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा सकते हैं, के मात्र उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की गई है । **रोजगार विभाग द्वारा किसी भी संस्थान/संगठन को प्राधिकृत नहीं किया गया है कि वह कौशल विकास भत्ता प्रदान किये जाने के प्रयोजन से कोई प्रशिक्षण प्रदान करें।**

Wondershare™ PDF Editor

योजना के अनुसार लाभार्थी अपनी पसन्द के प्रशिक्षण का चुनाव कर सकता है। उपरोक्त सूची मात्र उदाहरण स्वरूप है न कि सम्पूर्ण।

प्रश्न संख्या 2: कौशल विकास भत्ता प्रदान किए जाने का क्या उदेश्य है ?

उत्तरः कौशल विकास भत्ता योजना का उदेश्य, शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को उनके कौशल उन्नयन के प्रयोजन से भत्ता प्रदान किया जाना है।

प्रश्न संख्या 3: कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता के क्या माप-दंड है ?

उत्तरः इस हेतू आवेदकः (क) आवेदन करने की तिथि पर हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत हो। (ख) मूलरुप से स्थाई हिमाचली हो। (ग) न्यूनतम 8वीं कक्षा पास हो (**परन्तु राजगिरी, बढ़ई, लुहार या नलसाजी इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक आवेदकों के लिए योजना के अधीन भत्ते की ग्राहयता हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी)।** (घ) 16 वर्ष से अधिक और 36 वर्ष से कम आयु वर्ग का हो। (ड.) सभी स्त्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रू0 2.00 लाख (दो लाख) से कम हो। (च) भारतवर्ष में कहीं पर भी कौशल विकास प्रशिक्षण में दाखिल हो। (छ) किसी सरकारी/इसकी इकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निकायों/बोर्डों/निगमों में और न ही निजी क्षेत्र और न ही स्वरोज़गार में हो । (ज) सरकार का बर्खास्त कर्मचारी न हो। (झ) किसी अपराध का दोषी न हो जिसके लिए 48 घण्टे या इससे अधिक अवधि के लिए जेल की सजा काटी हो।

प्रश्न संख्या 4: भत्ते की दर क्या है ?

उत्तरः कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान (अधिक से अधिक 24 मास की अवधि तक) लाभार्थियों को रू0 1000/-(एक हजार) मात्र प्रतिमाह तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई विकलांगता वालों को रू0 1500/- (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिमाह की दर से भत्ता देय है।

Wondershare™ PDF Editor

प्रश्न संख्या 5: भत्ते की समय सीमा क्या है ?

उत्तर: *भत्ता प्रशिक्षणों की अवधि के दौरान दिया जाता है। प्रशिक्षण एक के बाद दूसरा अर्थात चरणबद्ध तरीके से भी लिया जा सकता है, परन्तु भत्ता कुल मिला कर, अधिक से अधिक 24 मास की अवधि तक ही दिया जाएगा। उदाहरणार्थ-यदि कोई व्यक्ति पहले 6 मास का प्रशिक्षण लेता है और बाद में 1 वर्ष का तो उसे एक वर्ष 6 मास के लिए भता दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम समय सीमा 24 मास है।*

प्रश्न संख्या 6: क्या लाभार्थी भत्ते हेतु पात्र होगा यदि वह एक से अधिक प्रशिक्षण लेता है ?

उत्तर: *हां, लाभार्थी एक से अधिक प्रशिक्षण लेने पर लाभ प्राप्त करने हेतू पात्र होगा/होगी, यदि प्रशिक्षण एक के बाद दूसरा, अनुवर्ती रुप में लिया गया हो। यदि एक ही समय में एक से अधिक प्रशिक्षण लिया जाता है तो उस स्थिति में भत्ता केवल एक प्रशिक्षण के लिए ही दिया जाएगा।*

प्रश्न संख्या 7: भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ?

उत्तर: *हां, आवेदक का भारतवर्ष में कहीं पर भी कौशल विकास प्रशिक्षणाधीन दाखिल होना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न संख्या 1 का अवलोकन करें।*

प्रश्न संख्या 8: क्या कोई संस्थान/संगठन चिन्हित हैं जो उक्त भत्ता प्राप्त करने के प्रायोजन से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते है ?

उत्तर: *आवेदक भारतवर्ष में कहीं पर भी अपनी रुची का प्रशिक्षण संस्थान/संगठन तथा प्रशिक्षण चयनित कर सकता है। प्रश्न संख्या 1 के उत्तर का भी अवलोकन करें।*

Wondershare™
PDF Editor

प्रश्न संख्या 9: भत्ता क्या मात्र दो वर्ष के लिए ही दिया जाएगा या प्रशिक्षण पूरा होने तक जारी रहेगा ?

उत्तरः *भत्ता एक के बाद दूसरे प्रशिक्षण की अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम समय सीमा 24 मास होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने तीन वर्षीय (डिप्लोमा) प्रशिक्षण में दाखिला लिया है, भत्ता उसे मात्र दो वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 के उत्तर का भी अवलोकन करें।*

प्रश्न संख्या 10: मैं मूलरुप से एक स्थाई हिमाचली हूँ। क्या मैं कौशल विकास भत्ता के लिए सम्बन्धित रोजगार कार्यालय में ही आवेदन कर, दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हुँ ?

उत्तरः *हां, आप कौशल विकास भत्ता हेतु आवेदन कर सकते है, यदि भत्ते हेतू निर्धारित पात्रता मान दण्डों की अन्य शर्तों और नियमों को आप पूरा करते हो।*

प्रश्न संख्या 11: मेरे पास हि0प्र0 का अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ***है, क्या मैं कौशल विकास भत्ते के लिए पात्र हूँ ?***

उत्तरः *नहीं, मात्र मूलरुप से स्थाई हिमाचली ही पात्र है।*

प्रश्न संख्या 12: क्या अभ्यर्थी राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकता है या उसे उसी रोज़गार कार्यालय में आवेदन करना होगा जहां पर वह पंजीकृत हैं ?

उत्तरः *आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र पर हिमाचल प्रदेश में मात्र उस रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकता है जहां पर उसका नाम पंजीकृत है या हिमाचल प्रदेश में उस रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। आवेदन प्रपत्र किसी भी रोजगार कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते है या फिर विभाग की बैब साईट* **www.himachal.nic.in/employment** *से डाउनलोड किए जा सकते है।*

wondershare™
PDF Editor

प्रश्न संख्या 13: भत्ता अदायगी की क्या विधि होगी ?

उत्तरः *भत्ते की अदायगी लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 हस्तान्तरण के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को आई0एफ0एस0कोड युक्त किसी बैंक शाखा में अपना खाता खोलना होगा। बैंक खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0कोड सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदन करते समय सत्यापित करना होगा।*

प्रश्न संख्या 14: मैं पांगी से हूँ और वहां पर कौशल विकास हेतु कोई प्रशिक्षण संस्थान/संगठन नहीं है, मैं इस योजना के अधीन कैसे लाभ उठा सकता हूँ ?

उत्तरः *पांगी से सम्बन्ध रखने वाला आवेदक अपने जिला या राज्य या भारत वर्ष मे कहीं पर भी किसी भी संस्थान/संगठन में प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है।*

प्रश्न संख्या 15: मैं MGNREGS में पंजीकृत हुँ। क्या में कौशल विकास भत्ते के लिए पात्र हूँ या नहीं ?

उत्तरः *हां,* MGNREGS *के अन्तर्गत रोजगार सरकारी या स्वरोजगार की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। इसलिए अन्य शर्तें व निबंधन पूरा करने की स्थिति में, ऐसा आवेदक, भत्ते के लिए पात्र है। यद्धपि परिवार की वार्षिक आय, जोकि दो लाख से कम होनी चाहिए, के लिए* MGNREGS *से प्राप्त आय गणना में ली जाएगी।*

प्रश्न संख्या 16: आवेदन प्रपत्र क्या ऑनलाईन उपलब्ध है या नहीं ?

उत्तरः *हां, आवेदन प्रपत्र विभाग की बैब साईट* **www.himachal.nic.in/employment** *पर उपलब्ध है।*

wondershare™

प्रश्न संख्या 17: मैं दसवीं पास हूँ, क्या मैं यह भत्ता प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तरः *हां, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है और यदि आवेदक राजगिरी, बढ़ई, लुहार या नलसाजी इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहता है तो*

PDF Editor

इस योजना के अधीन भत्ते की ग्राहयता हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं रहेगी, यदि वह पात्रता हेतू अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

प्रश्न संख्या 18ः मैं 35 साल 6 महीने की आयु का हूँ, क्या मैं भत्ते के लिए पात्र हूँ या नहीं ?

उत्तरः हां, योजना 16 वर्ष से लेकर 36 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए हैं, यदि वह पात्रता हेतू अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

प्रश्न संख्या 19ः क्या मैं कौशल विकास भत्ता हेतु ऑनलाईन आवेदन कर/ भेज सकता हूँ ?

उत्तरः नहीं। केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में दिया जा सकता है, जहां पर आवेदक पंजीकृत है या हिमाचल प्रदेश के उस रोज़गार कार्यालय में जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो।

प्रश्न संख्या 20ः हिमाचल प्रदेश के रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण क्या अनिवार्य है या नहीं ?

उत्तरः हां, आवेदन की तिथि पर हिमाचल प्रदेश के रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 21ः कौशल विकास भत्ते का लाभ उठाने लिए हेतु क्या आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है ?

उत्तरः हां, आई0एफ0एस0कोड (IFSC) युक्त बैंक शाखा में आवेदक का खाता होना आवश्यक है। जिसका सत्यापन बैंक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र पर करना होगा।

wondershare™
PDF Editor

प्रश्न संख्या 22ः मैं दूरस्थ क्षेत्र में रहता हूँ जहां पर बैंक शाखा का आई0एफ0एस0कोड नहीं है, मैं किस प्रकार भत्ता प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तरः भत्ते की अदायगी आर0टी0जी0एस0 हस्तान्तरण के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए आई0एफ0एस0कोड का होना अनिवार्य है। आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि आई0एफ0एस0कोड युक्त किसी भी बैंक शाखा में अपना खाता खोले।

प्रश्न संख्या 23: मैं एक संस्थान से कौशल विकास प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा हूॅं, जिसकी अवधि 2 वर्ष है। अब तक मैं 1 ½ वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर चूका हूॅं । क्या मैं शेष अवधि के लिए भत्ते हेतू पात्र हूॅं ?

उत्तरः हां आप शेष 6 मास की अवधि के लिए भत्ते के पात्र होगें ।

प्रश्न संख्या 24: मेरे पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। क्या मैं योजना के अधीन आवदेन कर सकता हूॅं ?

उत्तरः हां, यदि अन्यथा पात्र हो, आप इस योजना के अधीन आवदेन कर सकते हो। तथापि आपको परामर्श दिया जाता है कि आप यथाशीध्र आधार नम्बर के लिए आवेदन करें और उसकी प्राप्ति पर सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को सूचित करें।

प्रश्न संख्या 25: इस योजना के अधीन क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु में कोई छूट हैं ?

उत्तरः नहीं, कोई छूट नहीं है। 16 वर्ष से लेकर 36 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी आवेदक पात्र है।

प्रश्न संख्या 26: मेरा भाई इस योजना के अधीन भत्ता प्राप्त कर रहा है। क्या मैं भी आवेदन कर सकता हूॅं ?

उत्तरः हां आप भी आवेदन कर सकते हो, यदि अन्यथा पात्र हो, परिवार के सदस्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है जो इस योजना के अधीन आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या 27: मैने सुना है कि हाल ही में योजना में कुछ परिवर्तन किए गए है। कृपया उनसे मुझे अवगत करवाएं ?

Wondershare™
PDF Editor

उत्तरः *कौशल विकास भत्ता योजना पहली बार 21 मई 2013 को अधिसूचित की गई थी। इसमें 21 अगस्त 2013 तथा 10 दिसम्बर,2013 की अधिसूचनाओं के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैः*

(क) न्यूनतम पात्रता आयु को घटा कर 16 वर्ष किया गया है।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को घटाकर 8वीं कक्षा पास किया गया है और योजना के अधीन भत्ते की ग्राहयता हेतु न्यूनतम योग्यता की अपेक्षा नहीं होगी यदि आवेदक राजगिरी, बढ़ई, लुहार या नलसाजी इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहता हो। बशर्ते कि अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

(ग) रोजगार कार्यालय में दो वर्ष से नाम पंजीकृत होने के स्थान पर, अब आवेदन करने की तिथि को आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अपेक्षित है।

(घ) *कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले बेरोज़गार सम्बन्धी प्रमाणपत्र के स्थान पर अब बेरोज़गारी (तथा अन्य पात्रता शर्तों) बारे शपथ पत्र, निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार, आवेदक द्वारा स्वंय प्रस्तुत करना होगा। तथापि राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले आय संबंधी प्रमाण पत्र मे यह उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा कि आवेदक किसी सरकारी/इसकी इकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपकमों/निकायों/बोर्डों/निगमों में नियोजित नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के आवेदक की स्थिति में माता पिता/अभिभावकों द्वारा शपथ पत्र देना होगा जिसका प्रपत्र विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है।*

प्रश्न संख्या 28ः क्या आवेदन पत्र के लिए कोई शुल्क है ?

Wondershare™

उत्तरः *नहीं। आवेदन पत्र समस्त रोजगार कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध है। इसे श्रम एंव रोजगार विभाग की बैब साईट* **www.himachal.nic.in/employment** *से भी डाउनलोड किया जा सकता है।*

PDF Editor

प्रश्न संख्या 29ः आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज अपेक्षित है ?

उत्तरः *विधिवत रुप से भरे गए आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने अपेक्षित हैः*

(i) *पासपोर्ट आकार की फोटो।*

(ii) *निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-ग) पर (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक की स्थिति में उसके माता पिता/अभिभावक द्वारा) शपथ पत्र (जिसका प्रपत्र ऑनलाईन उपलब्ध है)।*

(iii) *कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र जिसमें यह भी उल्लेख हो कि आवेदक किसी सरकारी/इसकी इकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निकायों/बोर्डों/निगमों में नियोजित नहीं है।*

(iv) X-10 *(रोजगार कार्यालय पहचान कार्ड) की सत्यापित प्रति।*

(v) 8*वीं*/10*वीं की अंक तालिका/जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।*

(vi) *वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।*

(vii) *कौशल विकास प्रशिक्षण कोर्स में भर्ती या दाखिला प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।*

आवेदन करते समय आयु सत्यापन तथा मूल अंकतालिका पर, मॉनिटरिंग के प्रयोजन से, कौशल विकास भत्ता आवेदन पत्र संख्या अंकित करने हेतू कृपया 8*वीं*/10*वीं की अंक तालिका/जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने साथ लाएं।*

प्रश्न संख्या 30ः मै सितम्बर, 2012 से आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। वर्तमान में मैं द्वितीय वर्ष में हूँ। क्या मैं योजना का लाभ उठा सकता हुं ?

उत्तरः *हां, आप आवेदन कर सकते हैं और प्रशिक्षण भी शेष अवधि के लिए भता प्राप्त कर सकते है।*

wondershare™
PDF Editor